# कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, स्वामी आत्मानन्द, उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय प्रबंधन जिला-जशपुर (छ.ग.)

☎ 07763-220028 E-mail:- deo-jashpur@cg.gov.in rmsa.jashpur@gmail.com

पत्र क्रमाँक / 638 / शि.स्था.01 / स्वा.आ.अ.मा.वि. / स.भ. / 2021–22 जशपुर दिनांक- 14.06.21

## / / संविदा भर्ती विज्ञापन / /

लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमाँक / स्वा.आ.अं.मा. / 2021–22 / 161 / रायपुर दिनाँक 10.05.2021 एवं छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमाँक एफ 23–08 / 2020 / 20–3 / 23 / अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 तथा समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जशपुर जिला के विकासखण्ड **मनोरा / दुलदुला / कुनकुरी / बगीचा / फरसाबहार / कांसाबेल / पत्थलगाँव** में नवीन स्वीकृत कुल 07 (प्रत्येक विकासखण्ड एक–एक) स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर शिक्षक संवर्ग एवं अन्य पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन **विभागीय वेबसाईट www.deojashpur.in** के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जावेंगे।

**आवेदन ऑनलाईन करने की तिथि** 15.06.2021 **से तक** 30.06.2021

**विज्ञापित पद का विवरण :–**

| स. क्र. | पद का नाम | पदों की विषयवार संख्या (प्रत्येक स्कूल 01) | | आरक्षण वर्ग | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | संविदा मानेदय राशि (मासिक एकमुश्त) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | व्याख्याता | हिन्दी | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित अनिवार्य। संस्कृत एवं हिन्दी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता शिथिल रहेगी। | 38100 |
| | | संस्कृत | 7 | अनारक्षित | | |
| | | अंग्रेजी | 7 | अनारक्षित | | |
| | | गणित | 7 | अनारक्षित | | |
| | | जीव विज्ञान | 7 | अनारक्षित | | |
| | | रसायन | 7 | अनारक्षित | | |
| | | भौतिकी | 7 | अनारक्षित | | |
| | | वाणिज्य | 7 | अनारक्षित | | |
| | | सामाजिक अध्ययन | 7 | अनारक्षित | | |
| 2 | शिक्षक (पूर्व माध्यमिक शाला) | हिन्दी | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित अनिवार्य। संस्कृत एवं हिन्दी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता शिथिल रहेगी। | 35400 |
| | | संस्कृत | 7 | अनारक्षित | | |
| | | गणित | 7 | अनारक्षित | | |
| | | अंग्रेजी | 7 | अनारक्षित | | |
| | | विज्ञान | 7 | अनारक्षित | | |
| | | सामाजिक विज्ञान | 7 | अनारक्षित | | |

| स. क्र. | पद का नाम | पदों की विषयवार संख्या (प्रत्येक स्कूल 01) | | आरक्षण वर्ग | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | संविदा मानदेय राशि (मासिक एकमुश्त) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला) | हिन्दी / कला | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उतीर्ण एवं डी.एड. / डी.एल. एड. प्रशिक्षित | 25300 |
| | | विज्ञान | 7 | अनारक्षित | | |
| | | अंग्रेजी | 7 | अनारक्षित | | |
| | | सामाजिक विज्ञान | 7 | अनारक्षित | | |
| | | गणित | 7 | अनारक्षित | | |
| 4 | प्रयोगशाला सहायक विज्ञान | विज्ञान | 21 | 14 अजजा<br>7 अनारक्षित | मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय / गणित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उतीर्ण | 25300 |
| 5 | प्रधान पाठक (पू. मा.शा.) | — | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर परीक्षा एवं बी.एड. प्रशिक्षित तथा किसी शासकीय / अनुदान प्राप्त / अशासकीय / मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगातार 03 वर्षों के कार्य का अनुभव | 38100 |
| 6 | प्रधान पाठक (प्रा. शा.) | — | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक परीक्षा एवं बी.एड. / डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षित तथा किसी शासकीय / अनुदान प्राप्त / अशासकीय / मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक विद्यालय में लगातार 03 वर्षों के कार्य का अनुभव | 35400 |
| 7 | कम्प्यूटर शिक्षक | — | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम से बी.एस. सी. कम्पयूटर सांईस / बी.ई. / बी.टेक कम्प्यूटर सांईस, एवं अन्य समकक्ष योग्यता | 38100 |
| 8 | व्यायाम शिक्षक | — | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा के साथ बी.पी.एड. / डी.पी.एड. परीक्षा उतीर्ण | 35400 |

| स. क्र. | पद का नाम | पदों की विषयवार संख्या (प्रत्येक स्कूल 01) | | आरक्षण वर्ग | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | संविदा मानेदय राशि (मासिक एकमुश्त) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ग्रंथपाल | – | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा के साथ बी.लिब./एम.लिब. परीक्षा उतीर्ण | 22400 |
| 10 | सहायक ग्रेड–02 | – | 7 | अनारक्षित | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उतीर्ण एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय या मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में पी.जी.डी.सी.ए. या समकक्ष योग्यता तथा कॅम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईपिंग का 5000 (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। | 25300 |
| 11 | सहायक ग्रेड–03 | – | 14 | 7 अनारक्षित<br>7 अजजा | मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं (10+2) उतीर्ण एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय या मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या समकक्ष योग्यता तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईपिंग का 5000 (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। | 19500 |
| 12 | भृत्य | – | 28 | 7 अनारक्षित<br>14 अजजा<br>7 अपिवर्ग | कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण । | 15600 |
| 13 | चौकीदार | – | 7 | अनारक्षित | कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण । | 15600 |

**<u>चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश एवं शर्तें :–</u>**

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी।
2. आवेदकों द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
3. जिले के स्थानीय उम्मींदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने की स्थिति में जिले के बाहर के उम्मीद्वार के आवेदनों पर विचार किया जावेगा।
4. संस्कृत एवं हिन्दी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन/अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी।

5. व्याख्याता–सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति/इतिहास/अर्थशास्त्र/भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बी.एड. की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में अंकित विषयों में से दो विषय अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
6. सहायक ग्रेड–02 एवं सहायक ग्रेड–03 के पद हेतु कम्प्यूटर टाईपिंग में कौशल परीक्षा ली जावेगी जिसमें प्राप्तांको के आधार पर उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।
7. शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में समान/समकक्ष पदों में लगातार न्यूनतम 03 वर्ष या उससे अधिक की सेवा की अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. अभ्यर्थियों के न्यूनतम अहर्तादायी परीक्षा में प्राप्त अंको का 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में पूर्णांक 30 में से प्राप्त अंको के योग में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को चयन मेरिट अनुक्रम के आधार पर किया जावेगा। सभी पदों हेतु साक्षात्कार लिया जावेगा।
9. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छान–बीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा–आपत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in एवं www.deojashpur.in पर भी देखा जा सकेगा।
10. दावा–आपत्ति उपरान्त मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरूद्ध 05 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जावेगी। सभी आवेदक अपना मोबाईल नम्बर (व्हाट्स–अप नम्बर)/ई–मेल अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शायें।
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त् प्रमाण–पत्रों को स्व–प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
12. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यताएँ ही मान्य होगीं।
13. अभ्यर्थी को छ.ग. मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
15. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2021 की स्थिति में की जावेगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु–सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
16. **विज्ञप्ति पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।**
17. चयन के संबंध में चयन समिति की अध्यक्ष के निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

**नियुक्ति अवधि :–**

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन (03) वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय लिया जावेगा।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

**निरर्हताएँ :–**

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये। परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय् में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा। जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चिय न कर दिया जाये।

**अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा :–**

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगती पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तिकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

**अन्य निर्देश :–**

1. नियुक्ति उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
2. विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो।
3. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा। तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
5. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जशपुर जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in एवं विभागीय वेबसाईट www.deojashpur.in पर अवलोकन की जा सकती है।

10/6/21

**जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव**
**स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)**
**विद्यालय प्रबंधन**
**जिला–जशपुर (छ.ग.)**

पृ. पत्र क्रमाँक / 639 / शि.स्था.01 / स्वा.आ.अ.मा.वि. / स.भ. / 2021—22 जशपुर दिनांक- 14.06.21

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर, जिला—जशपुर को सूचनार्थ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला—जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क जशपुर, जिला—जशपुर को सूचनार्थ एवं सामाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC जिला—जशपुर को सूचनार्थ, उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जशपुर जिले के वेबसाईट में अपलोकड करने हेतु।

10/6/21

**जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव**
**स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम)**
**विद्यालय प्रबंधन**
**जिला—जशपुर (छ.ग.)**